10/2/2020	वकील फरीकेन उपस्थित पत्रावली के वक्त सुनी जाकर विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ हम मिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.05 18:12:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र परमार, आर.ए.एस

मु०न० 04/017 | आर.सी.एम.एस 2017/00013 | तारीख रजू 02.03.2017

मन्दिर ठाकुरजी राधा बल्लभ जी वाके राजा की कोठी के पास करौली जरिये नैक्स प्रैण्ड गोपाल पुत्र रामजीलाल व विष्णु पुत्र रामजीलाल जाति तमोलियान निवासी चौधरी पाडा करौली तहसील व जिला करौली

— सायल

बनाम

कृष्णचन्दपाल पुत्र सुरेन्द्र पाल जाति राजपूत निवासी भॅवर विलास करौल तहसील व जिला करौली

— गैरसायल

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः— 1 श्री अशफाक अहमद वकील सायल

2 श्री नवलकिशोर शर्मा वकील गैरसायल

निर्णय दिनांक 10.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि सायल ने प्रार्थनापत्र खिलाफ गैरसालय पेश कर बताया गया है कि खसरा नं. 4480,4281,4282,4283,4284 लगायत 89 वाके ग्राम कस्वा राजा की कोठी के पास करौली में स्थित है जो माफी मंदिर राधाबल्लभजी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है मंदिर की काफी पुरानी सम्पत्ति है मंदिर की सम्पत्ति में कमरे, बाथरूम, पाटोर नो गह एवं मंदिर नो गह में स्थित है तथा तीन दुकान व कुआ भी है कुआ में गंगाराम के नाम का बीजक भी लगा हुआ है। गैरसायलान राजनैतिक ऐप्रोच बाला तथा विशेष बल रखने बाला व्यक्ति है जबकि मंदिर परप्यूचल माइनर है जिसकी सम्पत्ति की सुरक्षा एवं हर प्रकार से देख रेख करने का हर व्यक्ति एवं हर समाज का कर्तव्य है । गैरसायल के मन में फितुर आ गया है ओर मंदिर की सम्पत्ति को अपनी निजी लालच के लिए खुर्दबुर्द करने एवं भारी परिवर्तन कर अपने निजी लाभ के लिए करने लगा है। दिनांक 26.1.2017 को गैरसायल मौके पर करीव 20 कारीगर लगाकर अपने नोकरो को छोडकर मंदिर की पाटोरो को तोडना, उतारना सुरू कर दिया तथा निजी उपयोग हेतु बोरिंग कराली लेट्रिन बाथरूम व कमरो का निर्माण कर लिया इस बावत श्रीमान जिला कलक्टर एवं एस पी. साहव आदि को प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र पेश किया गया किन्तु काम नही रोका गया बल्कि धारा 107—116, 151 सी.आर.पी. सी. के तहत पाबंद कराने हेतु दरखास्त पेश की किन्तु मौके पर निरंतर काम चलता रहा है ओर आनन फानन में मैरिज गार्डन की इमारत बनाने पर [illegible] । गैरसायल को पाबंद फरमाया जावे। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमें गैरसायल जरिये वकालान्तन उपस्थित आया और जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कहा की सायल द्वारा गलत तरीके से प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मंदिर सम्बंधि कोई दस्तावेज नही है ना ही यह अंकित किया है कि उक्त आराजी मंदिर को किसके द्वारा कब किस साल में समर्पित की गई उक्त विवादित आराजी का उपयोग गैरसायल व गैरसायल के बुर्जुग करते रहे है नक्स्टफैण्ड गोपाल मंदिर का हितेशी नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.05 18:12:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ना ही मंदिर में कोई श्रद्वा रखता है बल्कि अपने उपभोग के लिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है मौके पर दिनांक 26.01.2017 को कोई निर्माण नही कराया गया है। विवादित सम्पत्ति का उपयोग पूर्व की भाती हो रहा है। ओर निजी लागत से दुरूस्त कराया है जिससे सुरक्षित एवं अधिक उपयोग हुई है। मौके पर किसी प्रकार की मारपीट आदि की घटना नही हुई है। सायल उक्त जायदात को हडपना चाहता है इसी उद्वेश्य से झुठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

वकूलाओ की वहस सुनी। वकील सायल ने अपने बहस कथन में अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन कहा है कि विवादित आराजी माफी मंदिर की है जिसका गैरसायल अपने निजी उपयोग में लेकर मंदिर सम्पत्ति पर खुर्दबुर्द करने पर आमदा है जिससे मंदिर की विवादित आराजी का स्वरूप का परिर्वतन हो जायेगा। गैरसायल को पाबंद फरमाया जावे।

वकील गैरसायल ने अपने बहस कथन में जवाव प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए कथन कहा है कि विवादित आराजी गैरसायल के पूर्वजो की भूमि है मंदिर माफी की भूमि नही है गैरसायल अपने बुर्जुगानो के द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि का ही उपयोग कर रहा है किसी प्रकार का निर्माण आदि नही कराया जा रहा है सायल नें इस भूमि को माफी मंदिर की बताते हुए हडपने के उद्वेश्य से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। जिसे खारिज फरमाया जावे।

हमने वकूलाओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी सम्बत 2064 से 67 के खाता संख्या 263 में अन्य आराजी के साथ नरेन्द्र कुमारी वेवा सुरेन्द्रपाल, कृष्णचन्दपाल पुत्र सुरेन्द्र पाल , चन्द्रकुमारी आदि के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जहा पर वकील सायल का अपने प्रार्थनापत्र एवं दोराने बहस कथन में विवादित आराजी माफी मंदिर की दर्शित की गई है बहा पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सावित हो रहा है कि समस्त आराजीयात मंदिर माफी की हो ओर उस पर गैरसायल निर्माण कर रहा है। मांफी मंदिर की भूमि होने पर कोई भी व्यक्ति इसकी रक्षा हेतु दावा ला सकता है किन्तु इस प्रकरण में सायल द्वारा प्रार्थनापत्र को सावित करने के लिए ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्राईमाफेसी एवं सुविधा का संतुलन सावित हो। मात्र मौखिक तर्को से किसी भूमि को किसी का खातेदार नही माना जा सकता है ओर निर्माण सम्बंधी भी कोई रिपोर्ट सामिल नही करी गई है। यह भी नही बताया गया है कि मंदिर के अहित मे कोई कृत्य किया हो। यदि विवादित आराजी माफी मंदिर की हो तो सायल दोराने दावा अपने साक्षय में दर्शित कर सकता है। इस प्रकार से सायल अपने प्रार्थनापत्र को सावित करने में नाकाम रहा है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र खिलाफ गैरसायलान वावत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.03.2017 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल दावे में हमफीता हो

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.05 18:12:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)
करौली

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.02.27 13:30:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: